दिनांक– 10.06.2020 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत Video Conferencing के माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारियों का राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

---

1. उपस्थितिः–संलग्न।

Video Conferencing में शत्–प्रतिशत उपस्थिति के लिए सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन मात्र 50% कार्यालयों से प्राप्त कराया गया है। इस पर खेद व्यक्त किया गया एवं निदेश दिया गया कि समीक्षात्मक बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में निदेशालय को उपलबध कराना सुनिश्चित किया जाय।

3. पूर्व समीक्षात्मक बैठक में सभी नियंत्री पदाधिकारियों को निदेशित किया गया था कि सभी पदस्थापित प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/कनीय सांख्यिकी सहायक/अन्वेषक का वर्तमान पदस्थापन स्थान के साथ आरक्षण/कोटिवार सूची निदेशालय को लभ्य कराया जाय। इसके लिए निदेशालय स्तर से विहित प्रपत्र के साथ पत्र भी निर्गत है। परंतु अभी भी कुछ प्रमंडल एवं जिला से उक्त प्रतिवेदन अप्राप्त है। इससे संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन लभ्य नहीं कराये जाने की स्थिति में उन पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/निदेशालय स्थापना

4. निदेशालय के ज्ञापांक–1006 दिनांक–01.06.2020 के द्वारा स्थानान्तरित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अन्दर विरमित करने का निदेश सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को दिया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ स्थानान्तरित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी अभी तक विरमित नहीं किये गये हैं। तदालोक में सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अन्दर विरमित करते हुए निदेशालय को भी अवगत करायें।

अनुपालनः– संबंधित सभी जिला सां०पदा०

5. समीक्षा के क्रम में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, रोहतास द्वारा बताया गया कि कार्यालय में पूर्व में पदस्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा सिस्टम से बहुत सारे आंकड़ें अपने पास रख लिये गये हैं तथा सिस्टम को भी Formating कर दिया गया है। जिससे पूर्व के पत्र तथा आंकड़ें सिस्टम से निकालने में कठिनाई होती है। साथ ही साथ कार्यालय छोड़ने के समय पासवर्ड भी बदल दिया गया है। फलस्वरूप कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित पूर्व पदस्थापित कम्प्यूटर ऑपरेटर पर अपने स्तर से वांछित कार्रवाई किया जाय एवं तत्संबंधी सूचना जिला पदाधिकारी रोहतास को भी दिया जाय एवं उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– जिला सां०पदा०, रोहतास

6. समीक्षा के क्रम में कई जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कई पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कोविड–19 के अर्न्तगत कोरन्टाईन सेन्टर/अस्पताल में की गयी है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अभी भी जिन पदाधिकारियों/कर्मियों की प्रतिनियुक्ति बरकरार है उनकी सूची से निदेशालय को अवगत कराया जाय ताकि उक्त प्रतिनियुक्ति से मुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

अनुपालनः– सभी जिला सां०पदा०

7. <u>बजट</u> :–

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 में पारित यात्रा भत्ता के लिए राशि आवंटित होने के बावजूद कई जिलों द्वारा राशि का प्रत्यर्पण किया गया है, जिसके लिए एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। परंतु अभी तक निदेशालय को स्पष्टीकरण अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि संबंधित पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर अपने स्पष्टीकरण से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें।

अनुपालन– संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक(सां०)/जिला सां०पदा०

N

(ii) वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्षों के लिए वार्षिक अधियाचना विहित प्रपत्र में 15 जून 2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सां०पदा०

8. वर्षापातः–

(i) वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) AWS अधिष्ठापन हेतु चयनित स्थल का निरीक्षण कर अधिष्ठापित AWS का फोटों खीच कर अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में संलग्न करते हुए निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। AWS अधिष्ठापन में यदि कोई समस्या हो तो संबंधित Consultant एवं मुख्य अभियंता से विमर्श कर 15.06.2020 तक समस्या का समाधान करते हुए अधिष्ठापित कराया जाय।

(iii) ARG- राज्य के 33 जिलों के सभी पंचायतों में ARG- अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुरूप स्थलों की विवरणी उपलब्ध कराने संबंधी प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सचिव, योजना एवं विकास विभाग एवं कृषि विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जिला पदाधिकारी को प्रेषित पत्र को 15 दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर यथाशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर ARG हेतु स्थलों की शत्–प्रतिशत सूची चेक लिस्ट सहित निदेशालय को उपलब्ध करावें।

अनुपालन– सभी जिला सां०पदा०

9. कृषिः–

(i) **रब्बी सामान्य जिंसवार कृषि वर्ष 2019–20** – गया, बेगुसराय, जमुई एवं मधेपुरा से लंबित पाया गया। संबंधित जिला को एक सप्ताह के अन्दर लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) **रब्बी प्रक्षेत्र मूल्य कृषि वर्ष 2019–20** – जमुई से लंबित पाया गया। जमुई जिला को एक सप्ताह के अन्दर लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(iii) **गरमा द्रुत जिंसवार कृषि वर्ष 2019–20** – सारण एवं मधेपुरा से लंबित पाया गया। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण एवं मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस कार्य से संबंधित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी लगातार कई दिनों से अनुपस्थित हैं एवं दूरभाष पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि संबंधित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी से कारण पृच्छा की कार्रवाई किया जाय एवं लंबित प्रतिवेदन निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(iv) **फसल सांख्यिकी सुधार योजना अन्तर्गत निम्न प्रतिवेदन लंबित है :–**

क्र०सं०	मौसम/फसल	लंबित जिला
1	रब्बी 1.0/1.1	अरवल, सिवान, प० चम्पारण, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, मधेपुरा एवं पूर्णियॉ।
2	भदई मकई 2.0	बांका
3	अगहनी धान 2.0	पू० चम्पारण, भागलपुर एवं पूर्णियॉ
4	राई/सरसो 2.0	पटना, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बांका, पूर्णियॉ एवं कटिहार
5	ईख 2.0	गोपालगंज, पू० चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं बांका
6	चना 2.0	पटना, भोजपुर, गया, नवादा, औरगाबाद, लखीसराय एवं बांका

लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(v) बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्र्गत सभी रब्बी फसलों की भरी हुई अनुसूचियॉ एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में कई जिलों द्वारा बताया गया कि कोविड–19 संक्रमण के कारण प्रयोगकर्त्ता द्वारा परिशिष्ट–2 जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के Whatsapp पर प्राप्त कराया गया है। जिसके आधार पर परिशिष्ट–3 तैयार कर लिया गया है। सभी जिलों को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रतिवदेन निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) फल–सब्जी कटनी प्रयोग की संपादित अनुसूचियाँ निम्न जिलों से लंबित पाया गया :–

क्र०सं०	मौसम / फल–सब्जी	लंबित जिला
1	रब्बी मिरचाई	नालंदा, पू० चम्पारण, प० चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय
2	रब्बी आलू	पटना, नालंदा, पू० चम्पारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय
3	रब्बी प्याज	पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास, गया, नवादा, अरवल, पू० चम्पारण, मधुबनी
4	रब्बी बैंगन	नालंदा, गया, प० चम्पारण, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, कटिहार
5	रब्बी टमाटर	पटना, नालंदा, गया, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, कटिहार
6	रब्बी गोभी	पू० चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार
7	अगहनी बैंगन	पटना, पू० चम्पारण, समस्तीपुर, पूर्णियॉ, कटिहार
8	अगहनी आलू	पू० चम्पारण, कटिहार
9	अगहनी टमाटर	गया, समस्तीपुर
10	अगहनी गोभी	पू० चम्पारण, समस्तीपुर, बेगुसराय, अररिया
11	अमरूद	प० चम्पारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगुसराय अररिया, कटिहार

नोटः– रब्बी आलू एवं प्याज बिहार राज्य किसान सहायता योजना के तहत् है, फलतः उपज दर का आंकड़ा सहकारिता विभाग को ससमय प्रेषित करना आवश्यक है।

लंबित प्रतिवेदनों को एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

10. लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017–18 एवं जल निकाय गणना

(i) जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को लघु सिंचाई गणना एवं जल निकाय गणना के अनुसूचियों का ऑनलाईन डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य हेतु डाटा टेक एजेन्सी को अनुसूचियाँ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(ii) सभी जिलों को गणना अनुसूचियों की स्क्रुटनी एवं न्यायदर्श जाँच अविलंब सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।

(iii) सभी जिलों द्वारा किये जा रहे ऑनलाईन डाटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन कार्य का अनुश्रवण प्रतिदिन करने तथा उत्पन्न कठिनाईयों को एजेन्सी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए निराकरण करने का निदेश दिया गया।

(iv) सभी जिला को माह–जून 2020 के अन्त तक क्षेत्रीय गणना कार्य समाप्त कर कार्य समाप्ति का प्रमाण–पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/ सभी जिला सां०पदा०

11. सातवीं आर्थिक गणना

(i) सभी जिलों को निदेशित किया गया कि SL-2 द्वारा Login नहीं किया गया है। उनका Login कराते हुए Data Approval की कार्रवाई अविलंब कराना सुनिश्चित किया जाय।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

12. जीवनांक

(i) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संबंधित मासिक प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(ii) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का माह—मई, 2020 तक उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व क्रमशः 38.55 एवं 22.21 प्रतिशत रहा जबकि निर्धारित उपलब्धि 41.65 प्रतिशत प्राप्त किया जाना था। दरभंगा, किशनगंज, पूर्णियॉं, सीतामढ़ी, जमुई, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, अररिया, पूर्वी चम्पारण एवं शेखपुरा, जिलों को 41.6 प्रतिशत से अधिक वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि प्राप्त करने पर सराहना की गयी। नवादा, जहानाबाद, नालंदा, अरवल एवं मधेपुरा जिलों के जन्म रजिस्ट्रीकरण उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया। सभी जिलों को जन्म एवं मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण कार्य पर ध्यान देने का निदेश दिया गया ताकि वर्ष 2020 में वार्षिक लक्ष्य के विरूद्व शत—प्रतिशत उपलब्धि को प्राप्त किया जा सके।

अनुपालनः— सभी संबंधित जिला सां०पदा०

(iii) मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण (MCCD) से संबंधित वर्ष 2020 का प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन नालंदा, गया, अरवल, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, एवं मधेपुरा से अप्राप्त है। इन जिलों को संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजने हेतु निदेशित किया गया।

अनुपालनः— सभी संबंधित जिला सां०पदा०

(iv) मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण करते समय मृत्यु के कारण को दर्ज करने में कोविड—19, ए.ई.एस. एवं जे.ई. इत्यादि कारणों का स्पष्ट उल्लेख चिकित्सीय प्रमाणीकरण (MCCD) के त्रैमासिक प्रतिवेदन में भी सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। AES एवं JE के संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को विशेष ध्यान रखने का निदेश दिश गया।

अनुपालनः— सभी जिला सां०पदा०

(v) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में तीव्रता लाने हेतु जिला स्तरीय प्रशिक्षण किये जाने का निदेश दिया गया था तथा प्रशिक्षण सम्पन्न कराने हेतु राशि भी आवंटित की गयी थी। सभी जिलों में प्रशिक्षण लगभग सम्पन्न करा लिया गया है। जिला सारण एवं समस्तीपुर के द्वारा आवंटित राशि का शत्—प्रतिशत वापस किया जाना प्रशिक्षण सम्पन्न नहीं होने का द्योतक है। इस संबंध में दोनों जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। दोनों जिलों से शीघ्रातिशीघ्र अपना स्पष्टीकरण निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

(vi) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण में तीव्रता लाने हेतु प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण किये जाने का निदेश दिया गया था तथा प्रशिक्षण सम्पन्न कराने हेतु राशि भी आवंटित की गयी थी। सभी जिलों में प्रशिक्षण लगभग सम्पन्न करा लिया गया है। जिला बेगुसराय, समस्तीपुर एवं किशनगंज के द्वारा आवंटित राशि का व्यय नहीं किया जाना प्रशिक्षण सम्पन्न नहीं होने का द्योतक है। संबंधित तीनों जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अपना स्पष्टीकरण निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

(vii) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए आंगनबाड़ी सेविका—सह—उप रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि के विरूद्व जिला किशनगंज, मुंगेर, समस्तीपुर एवं मुजफरपुर द्वारा शत्—प्रतिशत राशि वापस किये जाने, साथ ही अररिया एवं मधेपुरा द्वारा अल्प व्यय किये जाने पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। संबंधित जिलों को शीघ्रातिशीघ्र अपना स्पष्टीकरण निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— संबंधित जिला सां०पदा०

13. रान्यास

(i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के क्षेत्रीय सर्वेक्षण का निरीक्षण की स्थिति दयनीय पायी गयी, निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत्–प्रतिशत निरीक्षण करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण की तिथि के सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालनः– संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक / संबंधित जिला सां०पदा०

(ii) मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम, निर्धारित अवधि में निदेशालय को लभ्य कराने साथ ही आवंटित लंबित प्रतिदर्शो का सर्वेक्षण माह–जून 2020 तक सम्पन्न कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– रान्यास से संबंधित सभी जिला सां०पदा०

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक समाप्त की गई।

ह० / –

निदेशक

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01 / 2019 /   / पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–
1. सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वरीय संयुक्त निदेशक / संयुक्त निदेशक(प्रशासन) / सभी उप निदेशक / सभी सहायक निदेशक / प्रशाखा पदाधिकारी(स्थापना)–1 एवं 2 / सभी प्रशाखा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी / प्रभारी निदेशक कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) / सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही में उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित की जाय।

ह० / –

निदेशक

ज्ञापांकः–DES(योजना शाखा) 01 / 2019 / 1103 / पटना, दिनांकः– 19-06-2020

प्रतिलिपिः– श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को ई–मेल द्वारा प्रेषित करने एवं श्री सुदामा कुमार, आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 18/6